Helpline **1064** 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **उदयपुर में जल संसाधन विभाग का अधिशासी अभियंता एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी 40 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

जयपुर, *29 जुलाई, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की उदयपुर इन्टे. इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **गणपत शर्मा अधिशासी अभियंता एवं गजेन्द्र सिंह राजपूत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जल संसाधन खण्ड उदयपुर** को परिवादी से **40 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की उदयपुर इन्टे. इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म को मिले टेण्डर के संबंध में कार्यादेश जारी करने की एवज में आरोपीगण गणपत शर्मा अधिशासी अभियंता एवं गजेन्द्र सिंह राजपूत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जल संसाधन खण्ड उदयपुर द्वारा **90 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी की उदयपुर इन्टे. इकाई के **पुलिस निरीक्षक श्रीमती डॉ. सोनू शेखावत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपीगण गणपत शर्मा अधिशासी अभियंता एवं गजेन्द्र सिंह राजपूत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जल संसाधन खण्ड उदयपुर को परिवादी से **40 हजार रूपये (20 हजार रुपये प्रचलित भारतीय मुद्रा एवं 20 हजार रुपये डमी करेंसी नोट)** की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपियों द्वारा परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी जयपुर की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के निर्देशन में आरोपीगण से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।**